

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

शशीकांत बनाम सरकार

मुकदमा सं. 33/2004

30.12.2019

प्रार्थी/अपीलांत के अधिवक्ता एवं परोकार सरकार उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। दोनो पक्षों की बहस सुनी गई। परोकार सरकार द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का निवेदन किया गया।

मैंने दोनो पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया तो पाया की मौके पर प्रार्थी ने कृषि भूमि में निर्माण कर अकृषि कार्य किया है सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने से इस स्थगन प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता निर्णय सरे ईलजास सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



(सुरेन्द्र कुमार सोलंकी)
जिला कलक्टर, सिरोही

